

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक:- एफ.1()स्था/निकाशि/विविध/23/690 दिनांक:- 10-11-2023

समस्त प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक एफ1(15)पीएस/आकाशि/2023/382 दिनांक 06.10.23 के द्वारा चयनित प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी सेवा पुस्तिकाएँ प्राचार्य पद पर कार्यग्रहण तक की प्रविष्टियां व अवकाश खाता **Up-to-Date** कर आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। प्राचार्यों की समस्त स्वीकृतियां यथा मकान किराया भत्ता, विशेष भत्ता, अवकाश स्वीकृति आदि आयुक्तालय द्वारा जारी की जाती है। प्राचार्य अपना आवेदन चैक लिस्ट अनुसार जाँच कर ई-डाक द्वारा भिजवाये।

संलग्न - मकान किराये भत्ते हेतु आवेदन पत्र एवं चैक लिस्ट

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमांक:- एफ.1()स्था/निकाशि/विविध/23/
प्रतिलिपि :- वेबसाइट प्रभारी - कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

Signature valid

RajKaj Ref
5039167



Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.11.08 17:51:24 IST
Reason: Approved

चैक लिस्ट

मकान किराया भत्ता हेतु -

1. पदस्थापन/स्थानान्तरण पर निर्धारित प्रपत्र में कार्यग्रहण दिनांक से एक माह के अन्दर आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।
2. आवेदन के साथ कार्य मुक्ति, कार्य ग्रहण प्रतिवेदन एवं पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश की प्रति संलग्न करें।

अवकाश प्रकरण हेतु -

1. निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरा अवकाश प्रार्थना पत्र (जी.ए. 45),
2. बीमारी का प्रमाण-पत्र ओपीडी नं0, दिनांक व यथास्थान रोगी के हस्ताक्षर सहित।
3. कार्यभार हस्तान्तरण प्रतिवेदन।
4. अवकाश से लौटने पर आरोग्य प्रमाण-पत्र व कार्यग्रहण रिपोर्ट।

ग्रीष्मावकाश पर मुख्यालय पर रूक कर राजकार्य करने के फलस्वरूप 92(बी) के अन्तर्गत उपार्जित अवकाश के लाभ हेतु आवेदन हेतु -

1. किये गये कार्य का पूर्ण विवरण।
2. उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित फोटो प्रति।
3. इस हेतु **31 अगस्त तक** आवेदन-पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट -

1. ई-डाक द्वारा पत्र भिजवाते समय **Description** में प्राचार्य अपना नाम व पत्र के विषय का स्पष्ट उल्लेख करें।
2. प्राचार्य द्वारा आयुक्तालय में प्रस्तुत पत्रों पर अपना नाम व मोबाईल नम्बर अवश्य लिखें।
3. सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन हेतु माह जनवरी व जुलाई में अपना जी.ए. 141 नियमित रूप से भिजवाते रहे।

Signature valid

RajKaj Ref
5039167

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.11.08 17:51:24 IST
Reason: Approved

ANNEXURE - 'A'

**APPLICATION FORM FOR CLAIMING HOUSE RENT ALLOWANCE IN RESPECT OF
GOVERNMENT SERVANTS LIVING IN RENTED ACCOMMODATION OR OWN HOUSE.**

1. Name
2. Designation & Department in which employed
3. Pay : (i) pay as per Rule 2(1) of these rules.
(ii) pay plus pension (for re-employed persons only).
4. (i) Full address of the house.
(ii) Whether rented or own.
5. Details of Accommodation (No. of rooms, Kitchen, W.C. and bath varandah etc. be shown separately).
6. Amount of house rent allowance claimed as admissible under rules.
7. Whether certificate required under rules are attached.
8. Date of occupation of the accommodation.

Date

Signature
Designation
Department.....

FOR USE IN THE OFFICE OF HEAD OF OFFICE.

Certified that :-

- (1) I have examined the claim for house rent allowance and I am satisfied that the claim is in accordance with the rules. The certificates prescribed by Government have been obtained from the Government servant.
- (2) House Rent Allowance of Rs. is hereby sanctioned.

Signature
(Head of Office)

Date

Designation

No.

Date.....

Copy forwarded to XEN/ Collector/ Dy. Secretary, General Administrative Department, Jaipur for allotting Government accommodation, if available.

Signature
Designation

(As amended upto 31.12.2007)

ANNEXURE - 'B'

**CERTIFICATES TO BE FURNISHED BY A GOVERNMENT SERVANT WHO IS
APPLYING FOR GRANT OF HOUSE RENT ALLOWANCE.**

Certified that :-

- (1) I am living in a rented house situated within municipal limits of
(Name of City/ Town) and incurring some expenditure on rent/ contributing
towards rent.
- (2) The portion of accommodation in respect of which house rent allowance is
claimed has not been sub-let / has been sub-let and the monthly rent which is
received is Rs. p.m.
- (3) I am living in a house situated within municipal limits of
(Name of City/ Town) and owned by me, my wife/ husband/ children/ father/
mother/ Hindu undivided family in which, I am co-parcener and paying /
contributing towards house or property tax or maintenance of the house.
- (4) I have not been provided with Government accommodation by the Central
Government, State Government or Autonomous public undertakings or Body or
Corporation or Semi-Government Organisation such as Municipalities etc.
- (5) I am not living in Government accommodation which has been allotted to another
Government servant.

Signature of the
Government Servant